



<p>आदेश की क्र०सं० एवं तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरं</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ</p>								
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>								
	<p style="text-align: center;">न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला सुषमा नीलम सोरेंग विविध वाद सं० - 07 / 2019-20</p> <p>सरिता देवी अपीलार्थी बनाम झारखंड सरकार प्रतिवादीगण</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद सरिता देवी, पति - मदन बैठा, ग्राम - डाड़हा, थाना - सिसई, जिला - गुमला ने अंचल अधिकारी, सिसई के द्वारा दाखिल-खारिज वाद संख्या - 598 आर 27 / 2018-19 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर निम्नांकित विवरण की भूमि को अपने नाम से दाखिल-खारिज कराने हेतु विविध आवेदन दिया गया है।</p> <p style="text-align: center;">जमीन का विवरण</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>खाता संख्या</th> <th>प्लॉट संख्या</th> <th>रकबा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>डाड़हा</td> <td>18</td> <td>897</td> <td>0.99 एकड़ में से 46 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p>अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका एक लम्बे समय से अनुपस्थित हैं तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा भी कोई पैरवी नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में आवेदिका को कोई अभिरुची नहीं रह गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष में इस वाद की कार्यवाही बिना गुण-दोष के समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला।</p> <p style="text-align: center;"> भूमि सुधार उप-समाहर्ता, गुमला।</p>	ग्राम	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा	डाड़हा	18	897	0.99 एकड़ में से 46 एकड़	
ग्राम	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा							
डाड़हा	18	897	0.99 एकड़ में से 46 एकड़							